न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व मुकदमा नम्बर :– 52/2016

जीसीएमएस नम्बर :– 2016/00064 वाद पत्र

उनवान

1. भैरूलाल पिता रंगलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मांगीलाल पिता रत्तु ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर मृतक के बजाय

2/1. रोशनलाल पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2/2. कैलाश पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2/3. कन्हैयालाल पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2/4. प्रकाश पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2/5. पुष्पादेवी पुत्री मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3. उदा पिता बालु ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. कैलाश पिता बंशीलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. रेवतनाथ पिता नामालुम ब्राहम्ण निवासी उदयपुर तहसील व जिला उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 15, 19, 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रगंरेज– वादी अधिवक्ता
2. प्रतिवादी संख्या 1 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः– 9/2/2026

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है किः–

1. राजस्व ग्राम आशाहोली पटवार हल्का आशाहोली तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में साविक खाता संख्या 458 में अंकित साबिक आराजी संख्या 840 रकबा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 841 रकबा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 842 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमियां वादी संख्या 1 पिता के पिता देवा तथा वादी संख्या 2 के पिता रत्तु उर्फ रतनलाल तथा वादी संख्या 3 व 4 के दादा नोला के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज है। प्रमाण में साबिक जमाबन्दी संवत 2022 से 2025 की पेश की है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) रायपुर

2. उक्त वादग्रस्त आराजियात पर मेवाड़ स्टेट के समय से वादीगण के पूर्वज काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे। मेवाड़ स्टेट के पश्चात राजस्थान राज्य के गठन के बाद भूमियों का मालिकाना हक राजस्थान राज्य के गठन के बाद उक्त भूमियों का मालिकाना हक राजस्थान राज्य में निहित हो गया तथा राज्य सरकार द्वारा संवत 2013 में वादपत्र की कलम संख्या 1 में अंकित भूमियों का खाता साबकान माफी शासकीय का होने व खाता रीज्युम हो जाने तथा माफी की भूमि होने से राज्य सरकार ने अपने मकबुजा में लेकर काबिज काश्तकारान के नाम लेकर वादीगण के पूर्वज देवा पिता माना व नोला पिता उंकार, रत्तु पिता रूपा को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिए तब से वादीगण के पूर्वज व उनके पश्चात् वादीगण वादपत्र की कलम सख्या एक में अकित कृषि भुमियों पर खातेदार काश्तकार की हैसीयत से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे। उक्त भूमियों पर वादीगण व उनके पूर्वजों का करीब सौ वर्षो से निरन्तर एवं निर्बाध कब्जा चला आ रहा है।

3. साबिक कृषि भूमियों में वादीगण के पूर्वजों को खातेदारी अधिकार प्रदान कर देने के बाद रेवतनाथ पिता नामालुम ब्राहम्ण का उक्त भूमियों में कोई हक एवं हिस्सा नहीं रहा था तथा प्रतिवादी सख्या एक व उसके वारिसान का वादग्रस्त भुमियों पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा तथा न ही प्रतिवादी संख्या एक के वारीसान कभी उक्त भुमियों पर ही आए। परंतु प्रतिवादी संख्या एक जिसका नाम राजस्व रेकॉर्ड में मेवाड़ स्टेट के समय से चला आ रहा है जिसमें भी उसके पिता का नाम लिखा हुआ नहीं है उक्त व्यक्ति मर गया है या जिन्दा है इसका कोई अता पता नहीं है फिर भी राजस्व कर्मचारियों ने राजस्थान के गठन के बाद की जमाबंदी में रेवतनाथ का नाम कृषक के कॉलम में अंकित कर दिया जिससे इसके पश्चात् की रोटेशन की सभी जमाबंदी में वादीगण की खातेदारी कृषी भुमियों में रेवतनाथ का नाम चलता रहा जबकि रेवतनाथ व उसके वारीसान का वादग्रस्त भूमियों पर कभी कोई कोई कब्जा नहीं रहा। प्रमाण में साबिक जमाबंदी सम्वत् 2022 से 2025, 2026 से 2029, 2037 से 2040, 2042 से 2045, 2050 से 2053 की वाद पत्र के साथ पेश हैं।

4. ग्राम आशाहोली में भु प्रबन्ध होने से वादपत्र की कलम संख्या 1 में अंकित साबिक कृषि भुमियों के नए नम्बर आ.स. 1099 रकबा 0.01 हैक्ट., आ.स. 1100 रकबा 0.13 हैक्ट., आ. स. 1101 रकबा 0.10 हैक्ट., आ.स. 1102 रकबा 0.23 हैक्ट., कायम किए गए। प्रमाण में वर्तमान जमावंदी व मिलान क्षेत्रफल की नकल वादपत्र के साथ पेश की है।

5. भु प्रबन्ध अधिकारियों ने विना किसी विधिक आदेश के वादीगण की खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की कृषि भुमियों में रेवतनाथ का नाम जोड़ दिया। वादीगण की कृषि आराजियात का नया खाता बनाया गया उसमें भी रेवतनाथ का नाम दर्ज कर दिया गया है जो गलत होकर अवैध हैं। प्रतिवादी संख्या एक मर गया है या जिन्दा है उसके पिता का नाम क्या है इसकी कोई जानकारी नहीं है तथा न ही राजस्व रेकॉर्ड में उसके पिता का नाम ही अंकित हैं एवं करीब 50 वर्षो से उसका कोई अता पता नहीं हैं। जिससे

सहायक कलक्टर

उसकी मृत्यु की उपधारणा की जाकर खाता संख्या 671 मे से रेवत नाथ का नाम हटाया जाकर खाता संख्या 671 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घौषित फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। तथा खाता संख्या 671 में अंकित कृषि आराजियात पर वादीगण व उनके पूर्वजों का करीब सौ वर्षों से निरतर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त होने से वादीगण का एडवर्स पजेशन हो चुका है जिससे भी रेवतनाथ का नाम हटाया जाकर वादीगण को खाता संख्या 671 का खातेदार काश्तकार घोषि फरमाया जावे।

6. अतः श्रीमान् से सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिकी सादिर फरमाई जाए कि ग्राम आशाहोली में स्थित नवीन खाता संख्या 671 में से रेवतनाथ का नाम हटाया जाकर खाता संख्या 671 में अंकित कुल किता 4 कुल रकबा 0.47 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाए।

7. प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 23.01.2020 को एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं प्रतिवादी संख्या 2 औपचारिक पक्षकार है।

8. साक्ष्य वादी में वादी कैलाशचन्द्र पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें वादपत्र को दोहराते हुए अंकन किया कि साबिक जमाबन्दी संवत 2022 से 2025 की प्रस्तुत की है जो प्रदर्श–1 है। साबिक जमाबन्दी संख्या 2022 से 2025, 2026 से 2029, 2037 से 2040, 2042 से 2045, 2050 से 2053 तक की प्रस्तुत की जो प्रदर्श 2 से 6 है। ग्राम आशाहोली का नवीन भू प्रबन्ध हाने से वर्तमान जमाबन्दी एवं मिलान खसरा प्रस्तुत किए जो प्रदर्श 7, 8 है। प्रतिवादी संख्या 1 जिन्दा है या मर गया जिसकी जानकारी है तथा उसके पिता के नाम की जानकारी नही है तथा करीब 50 वर्षो से उसका कोई अता पता नही है जिससे उसकी मृत्यु की उपधारणा की जाकर आराजी संख्या 1099, 1100, 1101, 1102 मे से रेवतनाथ का नाम हटाया जाकर उक्त आराजियात का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाए।

9. साक्ष्य वादी में वादी बाली पत्नि भैरूलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें वादपत्र को दोहराते हुए अंकन किया कि साबिक जमाबन्दी संवत 2022 से 2025 की प्रस्तुत की है जो प्रदर्श–1 है। साबिक जमाबन्दी संख्या 2022 से 2025, 2026 से 2029, 2037 से 2040, 2042 से 2045, 2050 से 2053 तक की प्रस्तुत की जो प्रदर्श 2 से 6 है। ग्राम आशाहोली का नवीन भू प्रबन्ध हाने से वर्तमान जमाबन्दी एवं मिलान खसरा प्रस्तुत किए जो प्रदर्श 7, 8 है। प्रतिवादी संख्या 1 जिन्दा है या मर गया जिसकी जानकारी है तथा उसके पिता के नाम की जानकारी नही है तथा करीब 50 वर्षो से उसका कोई अता पता नही है जिससे उसकी मृत्यु की उपधारणा की जाकर आराजी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

संख्या 1099, 1100, 1101, 1102 मे से रेवतनाथ का नाम हटाया जाकर उक्त आराजियात का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाए।

10. वादपत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा दस्तावेज प्रदर्श कराये गये जो निम्न है :–

क.स.	विवरण	प्रदर्श
1	जमाबन्दी संवत 2022 से 2025 ग्राम आशाहोली खाता संख्या 458	प्रदर्श–1
2	जमाबन्दी संवत 2036 से 2039 ग्राम आशाहोली खाता संख्या 354	प्रदर्श–2
3	जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 ग्राम आशाहोली खाता संख्या 435	प्रदर्श–3
4	जमाबन्दी संवत 2037 से 2040 ग्राम आशाहोली खाता संख्या 437	प्रदर्श–4
5	जमाबन्दी संवत 2042 से 2045 ग्राम आशाहोली खाता संख्या 457	प्रदर्श–5
6	जमाबन्दी संवत 2050 से 2053 ग्राम आशाहोली खाता संख्या 503	प्रदर्श–6
7	मिलान खसरा ग्राम आशाहोली	प्रदर्श–7
8	जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 ग्राम आशाहोली खाता संख्या 671	प्रदर्श–8

11. वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे निवेदन किया कि ग्राम आशाहोली की साबिक आराजी संख्या 840, 841, 842 थी जिसके नवीन नम्बर आराजी संख्या 1099, 1100, 1101, 1102 बने है। जमाबन्दी संवत 2022 से 2025 में रेवतनाथ पिता नामालुम ब्राहम्ण सा. उदयपुर जिसको हटवाने का वाद प्रस्तुत किया गया है। संवत 2013 में माफी शासकीय होने से वादीगण के पूर्वजो के नाम अंकित है। वादीगण का 100 वर्ष से अधिक समय से कब्जा है। रेवतनाथ का अंकन अपूर्ण एवं त्रुटीपूर्ण है। रेवतनाथ का वादग्रस्त भूमियों पर कोई कब्जा नही है। वादीगण को कभी आवश्यकता नही होने पर रेकॉर्ड नही देखे है। रेवतनाथ के पिता का कोई नाम नही, ना ही कोई कब्जा है और नही कोई जानकारी है। वादपत्र के पेश होने के पश्चात रेवतनाथ को तामील भेजी गई। प्रतिवादी को सम्पूर्ण प्रयासों के पश्चात सम्यक् तामील नही होने से राज्य स्तर के दो समाचार पत्रो में नोटिस प्रकाशन कराया गया। साबिक जमाबन्दी में रेवतनाथ के नाम सामने कोई आराजी का अंकन नही है। वादपत्र में 7 वर्ष से कोई उपस्थिति नही है। रेवतनाम का नाम हटाया जाए। वादीगण का नाम रखा जाए और वादपत्र को स्वीकार फरमाया जाए।

12. न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का गंभीरता से अध्ययन किया तो पाया कि वादपत्र के पेश होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 रेवतनाथ को तामील भेजी गई। प्रतिवादी को सम्पूर्ण प्रयासों के पश्चात सम्यक् तामील नही होने पर राज्य स्तर के दो समाचार पत्रो में नोटिस प्रकाशन कराया गया। तत्पश्चात् भी प्रतिवादी संख्या 1 न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित ना होने पर दिनांक 23.01.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अगल में लाई गई। वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में लगभग 100 वर्षो से वादीगण के पूर्वज व उसके बाद में वादीगण काश्त कर रहे है। वादपत्र दिनांक 17.07.2016 को दायर किया गया था जिसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 को सम्मन तामील कराने के कई प्रयासो

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) गायपुर

के असफल रहने के पश्चात् दिनांक 27.11.2019 को राज्य स्तर के 2 समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशन करवाया जाने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया। दिनांक 28.12.2019 को प्रतिवादी संख्या 1 के लिए न्यायालय सम्मन का अखबारमें प्रकाशन किया गया। अखबार में प्रकाशन के पश्चात् भी न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व दिनांक 23.01.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद दायर होने के 4 वर्ष पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादपत्र न्यायालय में पिछले 10 वर्षो से विचाराधीन है और इस दौरान भी प्रतिवादी की कभी भी उपस्थिति न्यायालय मे नही पाई गई है। वादपत्र के समर्थन में वादी द्वारा साक्ष्य वादी में वादी कैलाश पिता मांगीलाल ब्राहम्ण तथा बालीदेवी पत्नि भैरूलाल जाति ब्राहम्ण ने शपथ पत्र पर बयान पेश किए है। शपथ पत्र पर दिये गए बयान में अंकन है कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में कृषि अराजियात रप मेवाड़ स्टेट के समय से वादीगण के पूर्वज काबिज होकर काश्त करते चेल आ रहे थे। मेवाड़ स्टेट के पश्चात राजस्थान के गठन के वाद उक्त भूमियो का मालिकाना हक राजस्थान राज्य में निहित हो गया तथा राज्य सरकार द्वारा संवत 2013 में वादपत्र की कलम संख्या 1 में अंकित भूमियों का खाता साबकन माफिशासकीय का होने व खाता रिज्युम हो जाने तथा माफी की भूमि होने से राज्य सरकार ने अपने मकबुजा में लेकर काबिज काश्तकारान के नाम लेकर वादीगण के पूर्वज देवा पिता माना, व नोला पिता उंकार, रत्तु पिता रूपा को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिए तब से वादीगण के पूर्वज व उसके पश्चात वादीगण वादग्रस्त भूमियों पर खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त विववेदन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम आशाहोली पटवार हल्का आशाहोली के नवीन खाता संख्या 671 में अंकित आराजी संख्या 1099 रकबा 0.01 हैक्ट, आराजी संख्या 1100 रकबा 0.13 हैक्ट., आराजी संख्या 1101 रकबा 0.10 हैक्ट., आराजी संख्या 1102 रकवा 0.23 हैक्ट., कुल किता 4 कुल रकबा 0.47 है0 भूमि में प्रतिवादी रेवतानाथ सा. उदयपुर का नाम हटाया जाकर शेष जमाबन्दी बदस्तुर रखी जाए। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 9/2/26 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला-भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती करूणा लाड़ोती, आर.ए.एस.

राजस्व मुकदमा नम्बर :– 52/2016

जीसीएमएस नम्बर :– 2016/00064 वाद पत्र

उनवान

1. भैरूलाल पिता रंगलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मांगीलाल पिता रत्तु ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर मृतक के बजाय

2/1. रोशनलाल पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2/2. कैलाश पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2/3. कन्हैयालाल पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2/4. प्रकाश पिता मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2/5. पुष्पादेवी पुत्री मांगीलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3. उदा पिता बालु ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. कैलाश पिता बंशीलाल ब्राहम्ण निवासी आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. रेवतनाथ पिता नामालुम ब्राहम्ण निवासी उदयपुर तहसील व जिला उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

दिनांक 9/2/26

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम आशाहोली पटवार हल्का आशाहोली के नवीन खाता संख्या 671 में अंकित आराजी संख्या 1099 रकबा 0.01 हैक्ट, आराजी संख्या 1100 रकबा 0.13 हैक्ट., आराजी संख्या 1101 रकबा 0.10 हैक्ट., आराजी संख्या 1102 रकबा 0.23 हैक्ट., कुल किता 4 कुल रकबा 0.47 है0 भूमि में प्रतिवादी रेवतानाथ सा. उदयपुर का नाम हटाया जाकर शेष जमाबन्दी बदस्तुर रखी जाए। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

वाद में डिक्री आज दिनांक 9/2/26 को सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) के हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा